

प्रेसनोट / सराहनीय कार्य *(पत्रांक-153/2022 दिनांक 02.06.2022)*



दिनांक- 02.06.2022 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

थाना तरयासुजान क्षेत्रान्तर्गत पुलिस मुठभेड़ में एक पशु तस्कर घायल सहित कुल तीन पशु तस्कर गिरफ्तार 22 राशि गोवंशीय पशु बरामद-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर के निर्देशन, श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक श्री रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज श्री फूलचन्द राम के नेतृत्व में गोवंशी पशुओं की तस्करी के विरुध्द चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 02.06.2022 को थाना तरयासुजान व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड के दौरान 01 अदद ट्रक से 22 राशि जीवित गोवंशी पशु (21 राशि गाय व 01 राशि बैल) की बरामदगी करते हुए 03 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया गया जिसमें से पुलिस मुठभेड के दौरान 01 अभियुक्त सबरे आलम के पैर में गोली लगी जिसे दवा इलाज हेतु सरकारी अस्पताल रवाना कर अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 02.06.22 को तरया सुजान एवं स्वाट टीम को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति एक ट्रक में प्रतिबंधित गोंवश लाद कर गौ-तस्करी हेतु नेशनल हाइवे से बिहार जा रहे है उक्त सूचना पर गाजीपुर बैरियर नेशनल हाइवे 28 पर थाना तरया सुजान पुलिस व स्वाट टीम की संयुक्त टीम द्वारा चेंकिग की जाने लगी तभी एक अदद ट्रक संख्या UP50T2953 आती हुई दिखाई दी जिसे पुलिस टीम द्वारा रोका गया तो उसमें बैठे व्यक्तियों द्वारा ट्रक को न रोकते हुए पुलिस टीम को रौदने का प्रयास करते हुए भागने लगे पुलिस टीम द्वारा घेरा बंदी करने पर ट्रक से उतर कर 03 व्यक्ति गाजीपुर बैरियर नेशनल हाइवे 28 से सटे गन्ने के खेत में जाकर छिप गये एवं पुलिस पार्टी पर अवैध असलहे से फायर करने लगे जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त के बाये पैर में गोली लगी जबिक दो अन्य अभियुक्तो को पुलिस द्वारा मौके से गिरफ्तार किया गया। घायल अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में उपचार हेतु सरकारी अस्पताल रवाना किया गया एवं अन्य दो अभियुक्तों को हिरासत पुलिस में लेकर अन्य विधिक कार्यवाही पूर्ण की जा रही है।

घायल अभियुक्त-

1.सबरे आलम पुत्र सदरे आलम सा0 गोबरहा थाना खुटहन जनपद जौनपुर

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 2.अजय पुत्र सुबाष सा0 कोठवा जलालपुर थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़,
- 3.मुहम्मद साहिल पुत्र इरफान सा0 पीठापुर थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरण-

- 1.एक अदद तमन्चा .315 बोर 02 अदद फायर शुदा व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर
- 2. एक अदद ट्रक संख्या UP50T2953
- 3. 04 अदद धारदार बांका
- 4. 22 राशी गोवंशीय पशु (21 राशि गाय व 01 राशि बैल)

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

- 1.मु0अ0सं0 306/2022 धारा 307 भादवि व 3/5ए/5बी/8 गो0नि0अधि0
- 2.मु0अ0सं0 307/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
- 3.मुं0अ0सं0 308/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

प्र0नि0 कपिलदेव चौधरी थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर मय टीम निरीक्षक राज प्रकाश सिंह थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर उ0नि0 अमित शर्मा प्रभारी स्वाट टीम जनपद कुशीनगर मय टीम

अवैध शराब बिक्री/परिवहन/निष्कर्षण के विरुद्ध कार्यवाही (कुल-03) थाना तुर्कपट्टी-

थाना तुर्कपट्टी पुलिस द्वारा एक नफर अभियुक्त प्रमोद प्रसाद पुत्र बदरी प्रसाद सा0 बरवा राजापाकड़ टोला जमुआन थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर अन्तर्गत मु0अ0सं0 167/2022 धारा 60 आबकारी अधि0 में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पिकप वाहन से ले जायी जा रही 25 पेटी अंग्रेजी शराब, 05 पेटी बीयर, 27 बोरी यूरिया (कुल अनुमानित कीमत</u> लगभग 1,65,195 रुपये) <u>व फर्जी नम्बर प्लेट सहित 02 अन्तर्राज्यीय शांतिर अभियुक्त गिरफ्तार-</u>

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक श्री रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी खड्डा श्री संदीप वर्मा के नेतृत्व में जनपद में अवैध शराब बिक्री/निष्कर्षण/परिवहन के विरुध्द चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 02.06.2022 को थाना हनुमानगंज पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर पनियहवा पिकेट के पास से चेकिंग के दौरान एक अदद महेन्द्रा बोलेरो पिकप फर्जी नम्बर प्लेट BR 06 GE 1628 लगी हुयी से ले जायी जा रहा 25 पेटी अंग्रेजी शराब 8 PM कुल 1200 पाउच प्रत्येक पाउच में 180 ML व 05 पेटी बीयर किंगफिशर प्रत्येक पेटी में 24 केन 500 ML व IPL यूरिया 27 बोरी प्रत्येक बोरी में 45 KG व एक अदद नम्बर प्लेट BR 06 GE 1629 के साथ 02 अभियुक्तो 1.विरेन्द्र प्रसाद पुत्र गौरीशंकर निवासी मनियारीथाना सीकारपुर जनपद पश्चिमी चम्पारण, 2.भुआल गुप्ता पुत्र रघु गुप्ता निवासी कुकुरा थाना सीकारपुर जनपद पश्चिमी चम्पारण को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 86/22 धारा 60/72 आबकारी अधि0 व 419/420/467/468/471 भादवि में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 2.भुआल गुप्ता पुत्र रघु गुप्ता निवासी कुकुरा थाना सीकारपुर जनपद पश्चिमी चम्पारण

विवरण बरामदगी-

(कुल माल की अनुमानित कीमत लगभग 1,65,195 रुपये)

- 1.25 पेटी 8 PM जिसमें कुल 1200 पाउच प्रत्येक में 180 ML अनुमानित कीमत लगभग 1,44,000 रुपया
- 2.5 पेटी किंगफिशर बीयर जिसमें कुल 120 केन अनुमानित कीमत लगभग 14,000 रुपया
- 3.27 🛾 बोरी यूरिया अनुमानित कीमत लगभग 7195 रुपया
- 4.एक अदद महेन्द्रा बोलेरो पिकप फर्जी न0 प्लेट BR 06 GE 1628 लगी हुयी
- 5.एक अदद नम्बर प्लेट BR 06 GE 1629

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम--

- 2.उ0नि0 अजय कुमार सिंह थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर।
- 3.का0 शशिकेश गोस्वामी थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर।
- 4.का0 यशवन्त यादव थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर।
- 5.का0 प्रदीप कुमार यादव थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर।
- 6. का0 सोनू यादव थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर।

वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(04)

थाना तुर्कपट्टी-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 02.06.22 को थाना तुर्कपट्टी पुलिस की टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर जोकवा बाजार के पास से थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-42/2022 धारा -326/354ख/504/506/342 भादिव व 3(1)द,ध एससी /एसटी एक्ट में वांछित चल रहे अभियुक्त राजेश चौहान पुत्र किपल देव चौहान सािकन सिरपत खाड थाना तुर्कपट्टी जिला कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वांछित अभियुक्त-

राजेश चौहान पुत्र कपिल देव चौहान साकिन सिरपत खाड थाना तुर्कपट्टी जिला कुशीनगर।

<u>*गिरफ्तार करने वाली टीमः-*</u>

- 2.उ0नि0 श्री अवधेश सिंह थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर।
- 3.हे0का0 अमर्नाथ यादव थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर।
- 4.का0 ऋषि पटेलं थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर।

थाना हनुमानगंज-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम आज दिनांक 02.06.2022 को थाना हनुमानगंज पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर SDRD एजुकेशनल एकडमी रामपुर जंगल विद्यालय के पास से थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 85/22 धारा 376 भादवि से सम्बन्धित वाछिंत अभियुक्त विकलेश कुमार यादव पुत्र राजेन्द्र यादव सा0 पिपरिया नरहर थाना नेबुआ नौरगिंया जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>*गिरफ्तार अभियुक्त-*</u>

विकलेश कुमार याँदव पुत्र राजेन्द्र या<mark>दव सा0 पिपरि</mark>या नरहर थाना नेबुआ नौरगिंया जनपद कुशीनगर



गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 2.हे0का0 रामतपेशा थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर।

थाना अहिरौलीबाजार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 02.06.22 को थाना अहिरौलीबाजार पुलिस टीम द्वारा ग्राम तिनहवा के पास से थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 128/2022 धारा 354 भादवि 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वाँछित अभियुक्त करन उर्फ सोनू पुत्र बाढू सािकन महुलिया थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>*गिरफ्तार अभियुक्त-*</u>

1.करन उर्फ सोन् पुत्र बाढू साकिन महुलिया थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर ।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1.उ0नि0 श्री राहुल कुमार राय थाना अहि0बाजार जनपद कुशीनगर
- 2. हे0का0 सोनर्देव यादव थाना अहि0बाजार जनपद कुशीनगर
- 3. का0 मंजेश यादव थाना अहि0बाजार जनपद कुशीनगर
- 4. म0का0 अनामिका सिंह थाना अहि0बाजार जनपद कुशीनगर
- 5. म0का0 कोमल त्रिपाठी थाना अहि0बाजार जनपद कुशीनगर

अहिरौलीबाजार पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अहिरौलीबाजार पुलिस टीम द्वारा एसटी न0.308/2019 मु0अं0स0 213/2019 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित वारंटी अभियुक्त नवरंग सिंह पुत्र जुगुत सिंह सािकन जगदीशपुर थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर आश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त-

1.नवरंग सिंह पुत्र जुगुत सिंह साकिन जगदीशपुर थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 2. का0 शुभुम यादव थाना अहिरौली बाजार कुशीनगर
- 3. का0 धर्मेन्द्र कुमार थाना अहिरौली बाजार कुशीनगर

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 28 नफर अभियुक्त को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में =

- 1.मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-0, ई-चालान- 47 वाहन।
- 2.107/116 जा0फौ0 में कार्यवाही-मृ0-29, व्यक्ति-109
- 3.गैंगेस्टर एक्ट में की गयी कार्यवाही मु0-01, व्यक्ति-06
- 4.वांछित /वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(04)
- 5.आबकारी अधि0 में की गयी कार्यवाही मु0-02, अभि0-03, बरामदगी- एक अदद महेन्द्रा बोलेरो पिकप फर्जी नम्बर प्लेट BR 06 GE 1628 लगी हुयी से ले जायी जा रहा 25 पेटी अंग्रेजी शराब 8 PM कुल 1200 पाउच प्रत्येक पाउच में 180 ML व 05 पेटी बीयर किंगफिशर प्रत्येक पेटी में 24 केन 500 ML व IPL यूरिया 27 बोरी प्रत्येक बोरी में 45 KG व एक अदद नम्बर प्लेट BR 06 GE 1629, 20 ली0 कच्ची।
- *6.जनपद में कुल गिरफ्तारी–(कुल-38)*

